न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ. जिला–जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 27/2019
निर्णय दिनांक– 06.11.2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र आसाराम 2. झुमरदास पुत्र आसाराम 3. रामदीन पुत्र नेनाराम 4. पदमाराम पुत्र नेनाराम 5. मनोहर पुत्र नेनाराम जातियान माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. परसाराम पुत्र रामपाल 2. पांचाराम पुत्र रामपाल 3. श्रवण पुत्र रामपाल 4. नाथूराम पुत्र रामपाल 5. प्रकाश पुत्र रामपाल 6. ओमाराम पुत्र रामपाल जातियान माली निवासी भोपालगढ़ 7. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादीगण ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. के खाता संख्या 1044 जिसके खसरा नं. 1721 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1722 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 1723 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरान 03 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व अन्य सहखातेदार के नाम की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिस भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

2. उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व अन्य सहखातेदार की खातेदारी भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की पुस्तैनी सहदायगी सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पिता रामपाल के पिता का नाम नगाराम दर्ज हो गया जबकि रामपाल के पिता का नाम आसाराम है लेकिन त्रुटि के कारण रामपाल पुत्र नगाराम लिख दिया जबकि रामपाल के दादा का नाम नगाराम था एवं रामपाल पुत्र आसाराम नाम सही है व रामपाल पुत्र नगाराम नाम हटाना आवश्यक है। रामपाल पुत्र नगाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है, अभी हाल ही में वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने गये तब हल्का पटवारी ने बताया कि रेकर्ड में रामपाल पुत्र नगाराम नाम दर्ज है जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नही है इसलिये रामपाल पुत्र नगाराम नाम हटाकर दुरूस्त करवाना आवश्यक है क्योंकि रामपाल पुत्र आसाराम नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, रामपाल के फौत होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक

06.11.2020
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपजिला मजिस्ट्रेट भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

है। उक्त खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पिता रामपाल पुत्र नगाराम का नाम हटाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पिता का नाम रामपाल पुत्र आसाराम पहले से दर्ज है। वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि में रामपाल पुत्र नगाराम का नाम हटाकर पहले से दर्ज रामपाल पुत्र आसाराम के साथ अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है।

3. प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किए गए एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता का वकालतनामा पेश हुआ तथा प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने बाबत् कई अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया जिस कारण प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात् वादी संख्या 01 से 05 के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। वकील उभय पक्ष द्वारा साक्ष्य जिरह नही चाही गयी।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वादीगण के शपथपत्र, साक्ष्यों के शपथपत्र एवं वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात् वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. के खाता संख्या 1044 जिसके खसरा नं. 1721 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1722 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 1723 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरान 03 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पिता रामपाल पुत्र नगाराम का नाम हटाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में पहले से दर्ज रामपाल पुत्र आसाराम के साथ उनके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.11.2020

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

उपजिला मजिस्ट्रेट
भोपालगढ

Scanned with CamScanner